

2-10-24 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण उम.। पत्रावली  
वाले अणुबीजा बजराम दिनांक 30-10-24  
को पेश है। (M)

सहायक कलेक्टर, सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

30-10-24 वकुलाथ फरिकैन हाजिर/P.O. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त  
होने से पत्रावली दिनांक 26-11-24 को पेश हो।

26/11/24 वकुलाथ फरिकैन हाजिर/P.O. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त  
होने से पत्रावली दिनांक 2-12-24 को पेश हो।

7-1-25 वकुलाथ फरिकैन हाजिर/P.O. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त  
होने से पत्रावली दिनांक 10/1/25 को पेश हो।

10.02.25 पत्रावली पेश। प्रार्थीगण वकील उम.।  
अप्रार्थी सं. 1 से 10 को कड़-कड़  
कर तीन बार आवाज दिलाई गई।  
कोई उपस्थित नहीं। अतः इनके विरुद्ध  
सकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा रही।  
प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया  
द्वारा दिनांक 08.12.2021 की आदेशिका में  
वर्चित तथ्यों को दोहराते हुए मूल  
वाद के निस्तारण तक अल्पाई निषेधाज्ञा  
जारी किये जाने का निवेदन किया।  
हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की  
वहम पर मनन किया। तथा पत्रावली  
में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन  
अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों  
अनुसार वादग्रस्त आराजी मौजा मीरपुरा  
पटवार हल्का बुदाक के ख. नं. 51, 52,  
61 रकबा कुमश: 0.05, 1.78, 1.61 हेक्टेयर  
कुल रकबा 3.44 हे. पट्टक आराजी

सहायक कलेक्टर सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

P.T.O.



4-3/2021

सिद्ध होती है। अतः प्रकरण में प्रथम दृष्टयता मामला, सुविधा का संतुलन व अप्रुणीय शक्ति का लिखित प्राप्तिपत्र के पक्ष में सिद्ध होने से अरुघाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक जारी किया जाना उचित समझता हूँ।

— 'आदेश' —

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मौजा मीरपुरा पटवार हल्का गुंदाकू तहसील सांचौर के खसरा नम्बर 51, 52 व 61 रकबा कुमशः 0.05, 1.48, व 1.61 कुल रकबा 3.44 हेक्टेयर धाराजी की अप्रुणी सं 1 से 8 मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे ; इस आशय की अरुघाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फेरसल शुमार होकर नंबर से कम है।

सहायक कलेक्टर, सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)